



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 2008/आषाढ़ 14, 1930

No. 363]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 2008/ASADHA 14, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2008

सा.का.नि 498 (अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, जिसे उक्त उप-धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती हैं, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (..... संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2539 GI/2008

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 65 के उप-नियम (2) की सारणी में,—

(i) क्रम सं. 4 के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(3)	(4)
“कारबनीकृत जल	0.001”;

(ii) क्रम सं. 9 के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(3)	(4)
“कारबनीकृत जल	0.001”;

(iii) क्रम सं. 15 के स्तंभ (2) के सामने,—

(क) अल्फा (α) आईसोमर से संबंधित उपशीर्षक (क) के सामने स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(3)	(4)
“कारबनीकृत जल	0.001”;

(ख) बिटा (β) आईसोमर से संबंधित उपशीर्षक (ख) के सामने स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(3)	(4)
“कारबनीकृत जल	0.001”;

(1)

(ग) गामा (γ) आईसोमर जिसे लिन्डा-ने के रूप में जाना जाता है, से संबंधित उपशीर्षक (ग) के सामने स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(3)	(4)
“कारबनीकृत जल	0.001”;

(घ) डेल्टा (δ) आईसोमर से संबंधित उपशीर्षक (घ) के सामने स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(3)	(4)
“कारबनीकृत जल	0.001”;

(iv) क्रम सं. 16 के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(3)	(4)
“कारबनीकृत जल	0.001”;

(v) क्रम सं. 23 के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(3)	(4)
“कारबनीकृत जल	0.001”;

[फा. सं. पी -15014/4/2008-पीएच (फूड)]

देवाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, में का.नि.आ. 2106, तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 206(अ), तारीख 25 मार्च, 2008 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2008

G.S.R. 498(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published, as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be effected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on

which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be forwarded to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi-110001.

The objections or suggestions, which may be received from any person, with respect to the said draft rules, before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (.....Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 in rule 65, in sub-rule (2), in the table,-

(i) against serial no. 4, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“Carbonated Water	0.001”;

(ii) against serial no. 9, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“Carbonated Water	0.001”;

(iii) against serial no 15, in column (2),-

(a) against sub-heading (a) relating to Alfa (α) isomer, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“Carbonated Water	0.001”;

(b) against sub-heading (b) relating to Beta (β) isomer, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“Carbonated Water	0.001”;

(c) against sub-heading (c) relating to Gamma (γ) isomer, known as Lindane, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“Carbonated Water	0.001”;

(d) against sub-heading (d) relating to Delta (δ) isomer, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“Carbonated Water	0.001”;

(iv) against serial no. 16, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“Carbonated Water	0.001”;

(v) against serial no. 23, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“Carbonated Water	0.001”;

[F. No. P- 15014/4/2008-PH (Food)]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

Note : The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part-II, Section 3 of Gazette of India, *vide* number S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were last amended *vide* notification number GSR 206 (E) dated 25th March, 2008.